

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2017/01383

दिनांक 27.11.2017

सेवा में,

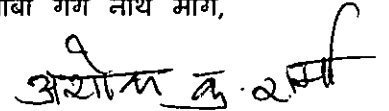
श्री मोहरपाल, पुत्र - श्री डालचन्द्र,

महोदय,

उक्त विषयक आपका दिनांक 07.11.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि खण्ड विकास अधिकारी/जन सूचना अधिकारी, सहावर, जनपद - कासगंज को संबोधित है जिसकी प्रति केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 17.11.2017 को डायराइज हुआ (डायरी सं. 177747) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 20.11.2017 को प्राप्त हुआ, का अवलोकन करें।

आपके आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है। कृपया सूचना से संबंधित कार्यालय/विभाग में आवेदन दाखिल कर सूचना प्राप्त करें। आपने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय से संबंधित सूचना मांगी है। इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है। राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रशासनिक/न्यायिक क्षेत्र से बाहर हैं, इसलिए राज्य सरकार से संबंधित आर.टी.आई. आवेदनों पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067 पर की जा सकती है।



(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल